"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर 2002—कार्तिक 30, शक 1924

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक 6081/3692/02/लो.नि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्;

संशोधन

उक्त नियमों में—

नियम 6 के उप-नियम (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाए :—

(1-क) "प्रमुख अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि आवश्यक अर्हता होगी तथा मुख्य अभियंता के लिए सिविल/ इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि आवश्यक अर्हता होगी तथा अधीक्षण यंत्री (सिविल/इलेक्ट्रिकल/मैकेनिकल) संवर्ग के लिए वरिष्ठता सूची एक ही होगी".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. छतवाल, सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2002

क्रमांक 6081/3692/02/लो.नि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 6081/3692/02/लो. नि., दिनांक 21 नवम्बर, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. एस. छतवाल, सचिव.

Raipur, the 21st November 2002

NOTIFICATION

No. 6081/3692/02/P.W.—In exercise of the powers conferred by proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Works Department, Engineer-in-Chief and Chief Engineer recruitment and conditions of Services Rule, 1983, namely;

AMENDMENT

In the said rules—

For Sub-rule (1-A) of the Rule 6, the following sub-rules shall be substituted :—

(1-A) "For promotion on the post of Engineer-in-Chief the degree in Civil Engineering shall be an essential qualification, and for the post of Chief Engineer, the degree in Civil/Electrical/Mechanical Engineering shall be an essential qualification, and for the cadre of Superintending Engineer (Civil/Electrical/Mechanical) gradation list shall be common."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
T. S. CHHATWAL, Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.